भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *239

दिनांक 04 अगस्त 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थों के तस्करों के लिए जीरो टॉलरेंस

†*239. श्री नरेश गणपत म्हस्केः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नशीले पदार्थों का नेटवर्क अब विद्यालयों और महाविद्यालयों तक पहुंच गया है जिससे युवा पीढ़ी तबाह हो गई है;

(ख) यदि हां, तो मादक पदार्थों के तस्करों को रोकने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के अंतर्गत क्या कठोर कार्रवाई की जा रही है;

(ग) मंत्रालय और आसूचना एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन प्लेटफार्मों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास डार्क नेट माध्यम से चल रही मादक पदार्थों की अवैध आपूर्ति को स्थायी रुप से समाप्त करने के लिए तैयार की गई विशेष कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं, वितरकों और अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेटों की परिसंपत्तियों जब्त करने और उनके लिए गैर-जमानती, दीर्घावधिक कारावास सुनिश्चित करने के लिए कानून में कड़े संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के भविष्य की रक्षा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को अनिवार्य रुप से मादक पदार्थों से मुक्त जोन बनाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या*239, दिनांक 04/08/2026

'मादक पदार्थों के तस्करों के लिए जीरो टॉलरेंस' के संबंध में दिनांक 04.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *239 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुलिस के साथ समन्वय में, युवाओं को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए खुफिया जानकारी आधारित ऑपरेशन चलाता है और निवारक उपाय करता है। मादक पदार्थों के तस्करों से निपटने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत की गई विभिन्न कड़ी कार्रवाइयां निम्नानुसार हैं:-

(i) मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की चुनौती से निपटने के उद्देश्य से मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029) दिनांक 26.06.2026 को जारी किया गया है, जो विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा 'समग्र-सरकार-दृष्टिकोण' और 'समग्र-समाज-दृष्टिकोण' से मादक पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक स्पष्ट प्राथमिकताओं और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ 3 वर्ष का रोड मैप निर्धारित करता है।

(ii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियां (डीएलईए) और राज्य पुलिस स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत प्रवर्तन गतिविधियों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप मादक पदार्थों की जब्ती, मामलों का पंजीकरण, गिरफ्तारी, जब्त किए गए मादक पदार्थों का निपटान करने, अवैध खेती को नष्ट करने, वित्तीय जांच तथा स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम, 1988 के तहत निवारक (प्रिवेंटिव) डिटेंशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

(iii) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) की स्थापना की गई है।

(iv) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने एनकॉर्ड (एनसीओआरडी) पोर्टल विकसित किया है। यह मादक पदार्थों के विधि प्रवर्तन से संबंधित जानकारी के लिए एक ऑल-इन-वन पोर्टल है। एनकॉर्ड, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, नार्को-अपराधियों के आंकड़े, कानूनी जानकारी, राज्यों द्वारा की गई अनुकरणीय पहल आदि जैसे विषयों को एनकॉर्ड पोर्टल पर शामिल किया गया है।

(v) नार्को-आतंकवाद के मामलों सहित मादक पदार्थों के बड़े और महत्वपूर्ण मामलों की जांच की निगरानी के लिए महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) गठित की गई है। अब तक, केंद्रीय स्तर पर 11 और राज्य स्तर पर 75 जेसीसी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(vi) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) से अनुरोध किया गया है कि वे बीट कांस्टेबलों, फील्ड अधिकारियों और एसएचओ को रेड फ्लैग इंडिकेटर (आरएफआई) और विशेष रूप से मेफेड्रोन तथा एम्फेटामाइन-टाइप स्टिम्युलेंट्स (एटीएस) के गुप्त रूप से किए जाने वाले उत्पादन से संबंधित उभरते खतरों के बारे में संवेदनशील बनाएं।

(vii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाने हेतु अन्य एजेंसियों, जैसे कि आबकारी, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), राज्य एएनटीएफ आदि के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है।

(viii) विभिन्न मंचों जैसे कि एनकॉर्ड, जेसीसी, क्षेत्रीय सम्मेलन में वित्तीय जांच और पीआईटीएनडीपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से बल दिया जाता है, ताकि संगठित सिंथेटिक ड्रग तस्करी के नेटवर्कों को खत्म तथा कमजोर किया जा सके।

(ix) अपराध से हुई कमाई के संबंध में वित्तीय जांच करने, व्यवस्थित तरीके से पहचान की सुविधा देने, पता लगाने और उसे कुर्क करने को सुगम बनाने के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(x) मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन अधिकारियों और एजेंसियों के क्षमता निर्माण के लिए, एनसीबी कार्यशालाओं/सेमिनारों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। एनसीबी नियमित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका-ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यूएस-डीईए) के सहयोग से गुप्त प्रयोगशालाओं और प्रीकर्सर केमिकल डायवर्जन की जांच पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों और राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी भाग लेते हैं।

(xi) भारत म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) जैसे देशों के साथ मादक पदार्थों से संबंधित मामलों पर महानिदेशक (डीजी) स्तरीय/द्विपक्षीय वार्ता नियमित रूप से आयोजित करता है।

(xii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से मादक पदार्थों के नियंत्रण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है।

(xiii) एक राष्ट्रीय स्वापक पदार्थ हेल्पलाइन "मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र" (मानस) को एक 24x7 टोल-फ्री राष्ट्रीय स्वापक पदार्थ कॉल सेंटर के रूप में शुरू किया गया था। मानस को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो नागरिकों को कॉल (1933), ई-मेल, वेब पोर्टल और उमंग मोबाइल ऐप जैसे संचार के विभिन्न माध्यमों से मादक पदार्थों से संबंधित मुद्दों/समस्याओं को लॉग करने, उनके पंजीकरण और उनके समाधान के लिए एक एकल मंच प्रदान करती है।

(xiv) पूरे भारत में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में "मादक पदार्थ मुक्त परिसर मिशन" शुरू किया गया, जिसमें युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें मादक पदार्थ मुक्त परिसरों के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाया जा रहा है।

(ग): डोमेन विशिष्ट पहलों के रूप में, सरकार ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों, एन्क्रिप्टेड संचार एप्लिकेशनों और डार्कनेट के उपयोग से संचालित मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्कों की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए एक आसूचना-आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित दृष्टिकोण अपनाया है। इस संबंध में किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

i. एनसीबी ने डार्कनेट-समर्थित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टोकरेंसी-आधारित लेन-देन की जांच करने की क्षमता बढ़ाने हेतु साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया है।

ii. प्रवर्तन कार्मिकों की तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने संयुक्त राज्य अमेरिका-ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यूएस-डीईए) तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू), गांधीनगर के सहयोग से मादक पदार्थों की साइबर-समर्थित जांच, डिजिटल फॉरेंसिक, डार्कनेट की निगरानी, क्रिप्टोकरेंसी की जांच तथा मादक पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल होने वाली अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर एनसीबी तथा अन्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) के अधिकारियों के लिए अनेक क्षमता-संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

इसके अलावा, दिनांक 26.06.2026 को मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029) जारी किया गया है, जिसमें सभी एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्सों (एएनटीएफ) में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी सेल की स्थापना, उन्नत प्रौद्योगिकियों और एआई-सक्षम विश्लेषण को अपनाने, अनुसंधान एजेंसियों के क्षमता निर्माण और संगठित साइबर सक्षम मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए उन्नत अंतर-एजेंसी समन्वय की परिकल्पना की गई है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या*239, दिनांक 04/08/2026

(घ): स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 का प्रशासन राजस्व विभाग के अधीन है। सरकार समय-समय पर एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करती है, जिसमें न्यायालयों के निर्णयों, अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों तथा प्रवर्तन एजेंसियों एवं अन्य हितधारकों द्वारा चिन्हित कमियों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसी समीक्षाओं तथा उभरती चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ आवश्यक एवं उपयुक्त समझा जाता है, अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है। यह सरकार की सतत विधायी समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैधानिक ढाँचा प्रभावी, समकालीन तथा बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप उत्तरदायी बना रहे।

(ङ): मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029) में अन्य बातों के साथ-साथ, शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास मादक पदार्थ मुक्त परिसर (+500 मीटर) बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, विजन डॉक्यूमेंट में केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थाओं में छात्र कल्याण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में छात्रों के लिए सहमति-आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट का भी प्रस्ताव है। यह पहल विजन डॉक्यूमेंट के तहत तीन वर्ष के, समयबद्ध रोडमैप का हिस्सा है, जो शैक्षणिक संस्थाओं में सुरक्षित और मादक पदार्थों से मुक्त वातावरण बनाने के लिए मादक पदार्थ मुक्त परिसर, निवारक शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श और सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा देता है।
